# स्त्री विरोधी विचार एवं बौद्ध साहित्यः एक मूल्यांकन

**डॉ0 वन्दना सन्त**
एसोसिएट प्रोफेसर, प्रा0 भा0 इ0 एवं पु0
नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

***शोध–सार***

*छठी शताब्दी ईसा पूर्व का कालखण्ड एक क्रान्तिकारी युग था। इस समय विविध क्षेत्रों में परिवर्तन दिखायी पड़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र भी इससे अछूता न रहा। कई महत्वपूर्ण बदलाव समाज में आए। इनमें से एक विशेष परिवर्तन है समानता पर आधारित समाज की स्थापना की परिकल्पना का होना। जन्म, वर्ण, जाति–पांति, लिंग के आधार पर असमानता का खण्डन किया गया। यद्यपि बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित किये जाने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं तथापि कतिपय विवरणों में स्त्रियों के प्रति असमानता सम्बन्धी विचार भी प्राप्य हैं। कुछ स्थानों पर स्त्रियों पर चरित्रहीनता का आरोप भी लगाया गया है। एक तरफ स्त्रियों को धम्म एवं संघ में सम्मिलित होने का अधिकारी स्वीकार किये जाने, माता–पत्नी–पुत्री के रूप में सम्मान की अधिकारिणी माने जाने, राजनीति, सम्पत्ति एवं शिक्षा में उनके अधिकार को स्वीकार किये जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं तो दूसरी तरफ स्त्री को पुरूष के समक्ष कमतर आंकने, उसे भोग्या अथवा दासी समझने, स्त्री द्वारा व्यभिचार किये जाने, उसके स्वभाव की चंचलता एवं चित्त की अस्थिरता सम्बन्धी विवरण भी प्राप्त होते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध स्त्री की समानता सम्बन्धी विचारों के पक्षधर थे। ऐसे में बौद्ध साहित्य में विरोधी विचारों का मिलना निश्चय ही गंभीर चिंतन का विषय है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी प्रकार के विचारों को उद्घाटित करने के उपरान्त उनका मूल्यांकन करने का प्रयास किया गयाा है।*

***मुख्य शब्द :*** *आठ गुरू धर्म, भिक्खुनी, श्रामणेरी, उपसम्पदा प्रवारणा, अर्हत्व, बोधिसत्व*

प्रस्तुत शोध पत्र में विरोधी विचारों का मूल्यांकन करने हेतु स्त्रियों की दो श्रेणियों को आधार बनाया गया है। प्रथम वह स्त्रियां जो अपना गृह त्याग कर बौद्ध धम्म की शरण में आ गयी थी। दूसरी वे स्त्रियां जो साधारण (जिन्होंने बौद्ध धम्म आत्मसात न किया हो) थीं।

भिक्खुनी संघ की स्थापना का उल्लेख बौद्ध त्रिपिटक साहित्य से प्राप्त होता है। जिसमें महाप्रजापति गौतमी तथागत से उनके सम्प्रदाय में पवज्जा ग्रहण करने की आकांक्षा रखती हैं। उन्होंने इस हेतु तीन बार गौतम बुद्ध से प्रार्थना की किन्तु उन्होंने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात् भी गौतमी ने अपना सिर मुड़ा लिया तथा शाक्य स्त्रियों को लेकर शास्ता के पीछे वैशाली चली गयीं। तब गौतमी के कहने पर गौतम बुद्ध के शिष्य आनन्द ने बुद्ध से प्रश्न किया, भन्ते! क्या तथागत प्रवेदित धर्म में, घर से बेघर प्रव्रजित हो, स्त्रियां स्रोतापति फल, सकृतागामी फल, अनागामि फल तथा अर्हत्त्व का साक्षात् कर सकती हैं। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात् अपने सहायक के माध्यम से मान्य सारिपुत्त, मोद्ग्लाययन, भद्दिय किम्बिल एवं महाकश्यप को बुलाकर विचार विमर्श करने के उपरान्त बुद्ध ने आनन्द से कहा यदि महाप्रजापति गौतम आठ गुरू धर्मों को स्वीकार करें तो उपसम्पदा हो।

ये नियम विधिसम्मत तथा निश्चित थे, जो भिक्षुणी संघ के विकास हेतु अनिवार्य थे। इन नियमों को अपनाए बिना किसी भी भिक्षुणी की उपसम्पदा असम्भव थी। ये आठ नियम इस प्रकार थे।

1. एक भिक्षुणी, भले ही सौ वर्ष से संघ में हो, भिक्षुओं का अभिवादन करेगी एवं उन्हें सम्मान

देगी, चाहें कोई भिक्षु उसी दिन उप–सम्पदा प्राप्त हुआ हो।

2. वर्षावास के दौरान भिक्षुणियां ऐसे स्थान पर वास नहीं करेंगी जहां भिक्षु न हो। इससे उन्हें आध्यात्मिक समर्थन एवं अध्ययन की सुविधा रहेगी।
3. उपोसथ के दिन भिक्खुनियों को धर्मोपदेश के लिये समय की जानकारी भिक्खु संघ को देनी होगी।
4. वर्षावास की समाप्ति पर प्रवारणा समारोह में भिक्षुणियों को दोनों संघों के समक्ष तीन प्रकार के दोषों को स्वीकार करना होगा– जो उसके द्वारा देखा गया हो, सुना गया हो एवं जो वह जानती हो।
5. यदि किसी भिक्षुणी द्वारा किसी शील का उल्लंघन हो गया हो तो वह उसे दोनों संघों के समक्ष बताना होगा।
6. जिसने दो वर्षों तक छः नियमों का अध्ययन व पालन किया हो ऐसी श्रामणेरी को दोनों संघों के समक्ष उपसम्पदा देने हेतु प्रार्थना करनी होगी।
7. कोई भी भिक्खुनी किसी भी भिक्खु को अपशब्द नहीं कहेगी तथा उसकी आलोचना या निंदा नहीं करेगी।
8. किसी भी भिक्षुणी द्वारा किसी भी भिक्षु को उपदेश देना वर्जित होगा, जबकि एक भिक्षु भिक्षुणी को उपदेश दे सकेगा।

उपर्युक्त नियमों के सूक्ष्म विवेचन से प्रतीत होता है कि तथागत स्त्रियों तथा पुरूषों की समानता के पक्षधर नहीं थे। प्रथम नियम, जिसके अनुसार काफी समय पूर्व उपसम्पदा प्राप्त कर चुकी वृद्ध भिक्खुनी भी नए उपसम्पदा प्राप्त भिक्खु को भी प्रणाम करेगी, उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि भिक्खुनी कई मामलों में स्वतंत्र नहीं थी अपितु भिक्खु संघ के ऊपर आश्रित थी। क्योंकि प्रवारणा एवं उपसम्पदा हेतु भिक्खु संघ से प्रार्थना करने का नियम था। सातवें नियम के अनुसार कोई भी भिक्खुनी भिक्खु को अपशब्द नहीं कहेगी किन्तु कहीं पर भी भिक्खुओं के लिये इस प्रकार के नियम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अंतिम नियमानुसार कोई भी भिक्षुणी भिक्षु को उपदेश नहीं दे सकती जबकि भिक्षु भिक्षुणी को उपदेश दे सकता था। इनमें से अधिकांश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते। यहां भी पुरूषों को स्त्रियों की अपेक्षा उच्च स्थान दिया गया एवं भिक्खुओं द्वारा भिक्खुनियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया।

बुद्ध का यह भी कथन है कि 'यदि स्त्री को धम्म विनय में प्रव्रज्या न दी जाती तो यह एक हजार वर्ष तक जीवित रहता परन्तु अब स्त्रियों को अधिकार देने से मात्र पांच सौ वर्ष तक ही कायम रहेगा।

इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में कई ऐसे विरोधी विवरण प्राप्त होते हैं। 'जातक' तथा 'परमत्थदीपनी' में उल्लेख हुआ है कि (उन दिनों) पत्नी की पिटाई आम बात थी और ऐसी महिला आदर्श पत्नी मानी जाती थी, जो स्वयं को पति के समक्ष समर्पित कर देती थी। पालि विनय में इस बात का उल्लेख है कि संघ में स्त्रियों की उपस्थिति भारी त्रासदी थी। इसकी तुलना फंफूदी से ग्रस्त धान की फसल तथा लाल रंग से संक्रमित गन्ने के खेत से की गयी है। आई0बी0 हॉर्नर ने यह संभावना व्यक्त की है कि भिक्खुनियां भिक्खुओं की अपेक्षा योग्यता में कम आंकी जाती थीं। इसलिये बिना किसी उद्देश्य के शामिल होने वाली भिक्खुनियों की छंटनी हेतु उनकी कड़ी जांच की जाती थी। एक जातक के अनुसार एक बोधिसत्व से यह अपेक्षा की जाती थी वह अपनी जीवनसंगिनी का त्याग कर दे। यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि पांच सौ सैंतालिस बोधिसत्त्वों में से एक भी स्त्री नहीं थी। शिक्षा समुच्चय में स्त्रियों को पुरूष बनने की कामना की गयी। कहा गया है कि वे पुरूष बनकर ही शूरवीर तथा पण्डित बन सकती थीं, बोधि के लिये आचरण कर सकती थीं तथा छः पारमिताओं का अभ्यास कर सकती थीं।

पालि साहित्य में कुछ विवरणों में नारी के दुराचार एवं चरित्रहीनता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। स्त्री को ईर्ष्यालु एवं विषयी तथा चरित्रहीन भी कहा गया है। बुद्ध का यह भी कथन है कि स्त्रियां अपना जीवन संतानोत्पत्ति एवं विषयवासना में ही व्यतीत कर देती है। एक स्थान पर विवरण मिलता है कि बुद्ध आनन्द को सम्बोधित करते हुए कहते है जहां तक सम्भव हो उसकी (स्त्री की) ओर न देखो और यदि आवश्यक हो तो उसके साथ सम्भाषण न करो यदि परिस्थितिवश सम्भाषण अनिवार्य हो जाए तो भलीभांति जागरूक रहो। एक अन्य स्थान पर विवरण मिलता है 'स्त्रियां मानव हृदय को साथ चलते, खड़े रहते, बातचीत करते, रोते–गाते हुए, रोगी अथवा मरणावस्था में भी आकर्षित कर लेती हैं। वह पुरूष को अपनी सुन्दर मुस्कान, संगीत आंसुओं, वस्त्रों, माला डालकर तथा अन्त में स्पर्श द्वारा मोहित कर लेती हैं।

जातक कथाओं में स्त्री के अनेक दोषों का विवरण मिलता है। एक जातक के अनुसार स्त्री किसी एक पुरूष में अनुरक्त नहीं रह सकती है वह पापस्वरूपा है। अवसर मिलने पर वह अवश्य दुराचार करती है। मैथुन, अलंकरण तथा प्रजनन के प्रति उसकी असीम तृष्णा है तथा उसकी गति मछली की भांति अनिश्चित है। अनभिरत जातक की कथा के अनुसार एक शिष्य अपनी पत्नी के दोष देखकर दुखी रहता था। आचार्य ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि स्त्रियों को नदी, पथ, मधुशाला, धर्मशाला तथा पौशाला की भांति सार्वजनिक उपभोग की वस्तु समझना चाहिए और यह सब जानने की बाद उसे पत्नी पर क्रोध नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार बौद्ध साहित्य में इस प्रकार के विरोधाभासी विवरण प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने सम्बन्धी जो आठ नियम, प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में मिलते हैं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात् क्षेपक के रूप में जोड़े गए हैं। तत्कालीन वातावरण एवं व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए अवश्य ही गौतम बुद्ध प्रारम्भ में स्त्रियों को प्रव्रज्या देने के समर्थन में नहीं थे। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह स्त्री को पुरूषों के समक्ष कमतर समझते हो अथवा स्त्रियों को निर्वाण के योग्य न मानते हो। हॉर्नर का कथन है कि बुद्ध ने उनमें पुरूषों की भांति अच्छाई व आध्यात्मिकता की अन्तःशक्ति को देखा। संघ में सम्मिलित होकर स्त्रियों ने स्वयं को हर प्रकार से योग्य भी सिद्ध किया एवं धम्म के विकास में अपना यथासम्भव योगदान दिया। ये भिक्षुणियां धर्मोपदेश की योग्यता रखती थीं। इन भिक्षुणियों को साधिकाओं और शिक्षिकाओं के रूप में सम्माननीय स्थान प्राप्त था।

प्रो0 सराओं का विचार है कि तिपिटकों में बार–बार संशोधनों के कारण विचारों में विविधता दिखायी पड़ती है। जिससे स्त्रियों के प्रति सकारात्मक एंव नकारात्मक दोनों ही प्रकार के विचार मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में स्त्री विरोधी वक्तव्य उन भिक्खुओं द्वारा बुद्धवचन में जोड़े गए जिनका रूख स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त था तथा पितृसत्तात्मक विचार रखते थे। व्यक्तिगत रूप से बुद्ध ने संघ के भीतर स्त्रियों को पुरूषों के बराबर दर्जा प्रदान किया था।

**संदर्भ**

1. विनयपिटक, चुल्लवग्ग
2. राहुल सांकृत्यायन, विनयपिटक (अनुवाद), 2006, त्रिपिटक प्रकाशन प्रतिष्ठान, दीक्षाभूमि संदेश, नागपुर, पृ0 587
3. राहुल सांकृत्यायन, पूर्वोद्धत, 587
4. वही, राहुल सांकृत्यायन, पूर्वोद्धत, 587; बी0पी0 संत, महामानव बुद्ध और उनका धम्म व दर्शन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ0 141
5. तिक न्यात हन्ह, जहं–जहं चरन परे गौतम के,पृ0 299; बी0 पी0 संत, पूर्वोद्धत, पृ0 142
6. तिक न्याय हन्ह, पूर्वोद्धत, पृ0 298–299; आई0 बी0 हॉर्नर विमेन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, मोतीलाल बनारदसी दास प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्लीपृ0 119–120
9. प्रो0 के0 टी0 एस0 सराओ, प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म,
10. प्रो0 के0 टी0 एस0 सराओ, पूर्वोद्धत, (पादटिप्पणी), पृ0
12. बी0 पी0 संत, पूर्वोद्धत, पृ0 142
13. प्रो0 के0 टी0 एस0 सराओ, पूर्वोद्धत, पृ0 105

14. आचार्य बलदेव उपाध्याय, बौद्ध दर्शन मीमांसा, पृ0 19
15. अंगुत्तर निकाय 1, पृ0 281, 261, ग्रेजुएल सेइंग्स–2,
16. अंगुत्तर –1, पृ0 78
17. विमलचन्द्र पाण्डेय, भारतवर्ष का समाजिक इतिहास, पृ0 239
18. अंगुत्तर– 3, पृ0 68
19. अंगुत्तर– 4, पृ0 166–167
20. जातक – 1, पृ0 293, 298
21. जातक – 1, पृ0 268
22. जातक – 3, पृ0 342
23. जातक – 5, पृ0 94
24. अनभिरत जातक – 65, मोहनलाल महतो, जातक कालीन संस्कृति, पृ0 174
25. बी0 पी0 संत, पूर्वोद्धत, पृ0 143
26. आई0 बी0 हॉर्नर, अर्ली बुद्धिज्म एण्ड टेकिंग ऑफ लाइफ
27. बी0पी0 संत, पूर्वोद्धत, पृ0 143